झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–27 वर्ष 2021

सामद अली सपुई उर्फ सामद अली सुपुई .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री वी0एन0 झा, ए0पी0पी0।

आदेश सं0 04 दिनांक–09.04.2021

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों को सुना।

यह आपराधिक विविध याचिका याचिकाकर्त्ता द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत दायर करके ए0बी0ए0 सं0 3844/2020 में पारित दिनांक 19.10.2020 के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना की गई है।

यह याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना किया गया है कि याचिकाकर्त्ता को छह सप्ताह के भीतर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण, वह निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं कर सका। आगे यह प्रार्थना किया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने पैसे एकत्र किए हैं और 20,000/– रूपये की नकद सुरक्षा जमा की है, जिसकी एक प्रति पूरक शपथ पत्र के

अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है। इसलिए, यह प्रार्थना किया गया है कि ए0बी0ए0 सं0 3844/2020 में पारित दिनांक 19.10.2020 के आदेश के संदर्भ में निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का समय इस आदेश की तारीख से छह सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के पूर्वोक्त प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ता को ए0बी0ए0 सं0 3844/2020 में पारित दिनांक 19.10.2020 के आदेश के संदर्भ में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की अनुमति है। अतः याची को ए0बी0ए0 सं0 3844/2020 में पारित दिनांक 19.10.2020 के आदेश के संदर्भ में इस आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

ए0बी0ए0 सं0 3844/2020 में पारित दिनांक 19.10.2020 के आदेश को केवल पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

इस आपराधिक विविध याचिका को उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)